

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

इन्दरसिंह

विपक्षी

परबतसिंह

मुकदमा

53,188 P.T.P.

पत्रावली संख्या 94/20

सन

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
-----------------	---

29/7/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी मय वादी अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी मय वादी को बार-बार आवजे दिलवाई गई। समय सांघ 5:00 PM हो चुके हैं। वादी एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण वर्तमान में साक्ष्य वादी में लम्बित है। वादी को साक्ष्य पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है परन्तु वादी द्वारा अब तक साक्ष्य पेश नहीं किये। वादी को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी साक्ष्य पेश नहीं करने से स्पष्ट जाहिर होता है कि वादी अपने वाद के प्रति सजग नहीं हैं एवं मात्र प्रकरण को लम्बा करना चाह रहे हैं। आज भी स्वयं वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

